पत्र सं०–05 / पी०–62 / 2023 / 50(5)वि

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक–06.11.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में आर०सी०एच०, नामकुम के परिसर में अवस्थित लोडर्स आवास संख्या–4 (भूमि तल) के जीर्णोद्धार / सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु कुल 17,65,300 / –(सत्रह लाख पैसठ हजार तीन सौ) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–37(5)योजना, दिनांक–04.11.2026 एवं अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2444(MD) दिनांक–27.07.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में आर०सी०एच०, नामकुम के परिसर में अवस्थित लोडर्स आवास संख्या–4 (भूमि तल) के जीर्णोद्धार / सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु कुल 17,65,300 / –(सत्रह लाख पैंसठ हजार तीन सौ) रुपए मात्र आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्रों / स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–20एस–4210–01–796–48–01–05–45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

4. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष–8782, स्थानीय जमा निधि–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. सिविल सर्जन, राँची मरम्मति कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा नियमित रुप से विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।

8. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्त्तो पर आधारित होगा तथा निविदा / एकरारनामा शर्त्तो में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

9. उक्त प्राक्कलन के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन ई–निविदा के माध्यम से निर्माण योजना के कार्यकारी एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। इन कार्यों का दोहरीकरण अन्य योजना के साथ न हो, इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी संबंधित अभियंताओं की होगी।

10. संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

12. पर्यवेक्षकीय अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरुप कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची की होगी। योजना कार्यान्वयन में किसी प्रकार के अनियमितता बरतने की स्थिति में संबंधित अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

15. संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 50(5)ब, राँची, दिनांक: 06.11.2026

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
6. कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची।
7. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
8. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

50(5)ब,
06.11.2026

Scanned with OKEN Scanner

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5-P-62/2023/50(5)B

दिनांक - 06-Nov-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100179648010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	83989	RNCMED013 AMRENDRA PRASAD C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	1,765,300.00 रुपये स त्र ह लाख पैसठ हजार तीन सौ

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT

Centeral Scheme : LEVEL(1691)

योग: 1,765,300.00

क्रमिक योग: रुपये स त्र ह लाख पैसठ हजार तीन सौ

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date 6/11/2026

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100179648010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Amrendra Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹17,65,300.00 (83989)	₹17,65,300.00

कुल आवंटित राशि :- **₹17,65,300.00** (स त्र ह लाख पैसठ हजार तीन सौ) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

Scanned with OKEN Scanner